

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30035/2026**

पुष्पेंद्र कुमार @ राजा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: गौतम, मोहम्मद शमीम

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70**माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 136/2026, अंतर्गत धारा 308(5), 112, 126, 77 एवं 317(2) बी.एन.एस., थाना- कोतवाली कालपी, जनपद- जालौन में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे अंतरस्थ हेतु झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारंभ में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। यह आरोप है कि सूचनाकर्ता की “वल्ला” डेटिंग एप्लिकेशन के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति से मुलाकात हुई और जब वह उससे मिलने गया तो उक्त व्यक्ति तथा उसके अज्ञात साथियों ने कथित रूप से सूचनाकर्ता का अश्लील वीडियो बनाया, उसका मोबाइल फोन एवं नकदी छीन ली और बाद में उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के खाते में कथित रूप से स्थानांतरित ₹16,000/- की राशि, सूचनाकर्ता द्वारा आवेदक से खरीदी गई गाय की बिक्री कीमत के रूप में थी। गाय की कुल कीमत ₹20,000/- थी और सूचनाकर्ता ने ₹16,000/- का भुगतान किया था। शेष राशि का भुगतान न किए जाने के कारण वर्तमान विवाद उत्पन्न हुआ। आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक/अपराध से संबंधित वस्तु बरामद नहीं हुई है। इस

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्तर पर, अभिलेख पर ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जो आवेदक को कथित अपराध से जोड़ता हो। सह-आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ बाबा को इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2026 के आदेश से, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28380/2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। मुकदमा अपराध संख्या 138/2026 के अतिरिक्त आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक 23.06.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि, वह जमानत पर रिहा किया जाता है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने, तथापि, जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का मत है कि आवेदक विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है। तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

आवेदक- पुष्पेंद्र कुमार उर्फ राजा को उपर्युक्त मामले में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार यिक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य बताने से विमुख हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत निरस्त कराने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं। इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

अगस्त 25, 2026

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है ।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।